some staff for doing personal work and he had engaged less number of departmental labour than provided for, for the work of ash handling contract at Dhanbad, deriving monetary benefit therefrom. It has been referred to Vigilance Department.

Booking of wagons from Tetulmari Private siding

7415. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a written order in the month of May or June, 1971 was given by the Divisional Operating Suprintendent, Dhanbad to Station Master, Sijua to book eight wagons daily from Tetulmari Private Siding by a fictitious Trading Agency ; and

(b) whether the Station Master, Sijua and some others have been suspended and if so, the action taken against them ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) On an application from M/s. Bharat Trading Agency, permission was granted by the Divisional Operating Suprintendent, Dhanbad for despatch of C. Shale, Stone and Fire-bricks in wagon loads from Tetulmari No. 1 Siding at Sijua at the rate of 8 wagons per day provided the party undertook to abide by the Railway Rules governing such movements. This was a permission to use an Assisted Siding by a party other than the holder of the Siding. There was no order for booking of any wagons as such.

(b) Yes. Suspension is in connection with cases detected of coal being loaded into wagans against indents for stone and other commodities. The case is still under investigation by Vigilance Organisation.

Sanction of Hydro-Electric projects in West Bengal

7416. DR. RANEN SEN : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether new Hydro-Electric Projects in West Bengal have not been sanctioned ; and

(b) if so, the reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) and (b) The West Benga State authorities have submitted project reports covering the following three Hydro-electric projects :

(i) Jaldhaka Stage I Extension envisaging installation of three generating units of 9 MW.

(ii) Jaldhaka Stage II envisaging installation of two units of 4 MW.

(iii) Rinchington Micro Hydel Scheme with an installed capacity of 2 MW ; comprising two units of 0 5 MW and one unit of 1 MW.

As regards item (i), the State authorities have been requested to furnish revised estimate based on actual tenders, as the scheme is in advance stage of construction.

With regard to items (ii) and (iii), the scheme reports have been examined by the Central Water and Power Commission and the comments thereon have been sent to the State Authorities. After the replies from the project authorities are received and examined, these scheme reports would be placed before the Advisory Committee for their consideration.

झांसी डिविज़न में यात्री और माल गाड़ियों में लूट-पाट की घटनायें

7417. डा० गोविन्ददास रिछारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी डिविज़न में गत दो वर्षों में यात्री और माल गाड़ियों में लूट-पाट की कितनी घटनायें हुई और उनके कारण कितने रेल कर्मचारियों को तकलीफ हुई और उनको कितनी हानि हुई ; और

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) अगस्त, 1969 से जुलाई, 1971

तक की अवधि में सवारी और माल गाड़ियों को लूटने की जितनी घटनाओं की रिपोर्ट मिली है उनकी संख्या क्रमशः 3 और 1 है। किसी रेल कर्मचारी को सम्पति की क्षति नहीं पहुंची लेकिन एक गार्ड और रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक को चोटें आयीं।

(ख) जहां तक सम्भव होता है सवारी/माल गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र गारद के पहरे की व्यवस्था की जाती है। रेल अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये सादी पोशाक में कर्मचारियों को तेनात किया जाता है।

झांसी डिविजन में "कैस आफिसों" और रेलवे डाक-सेवा में कम पाई गई रोकड़

7418. **डा. गोविन्दवास रिछारिय:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) गत तीन वर्षों में झांसी डिविजन में "कैश आफिसों" और रेलवे डाक सेवा में कम रोकड़ पाई जाने की कितनी घटनायें हुई ; और

(ख) ऐसी घटनाओं की जांज करने और उन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) रोकड़ कार्योलय, मंलासी में रोकड़ कमी होने से सम्वन्धित 13 घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। रेल-डाक सेवा रेलवे की रोकड़ नहीं ले जाती।

(ख) सभी मामलों की रिपोर्ट, पुलिस को कर दी गयी है जिसने उनकी जांच-पड़ताल की है। विभागीय जांच के लिए भी आदेश दिये गये हैं और जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है। क्षेत्रीय रोकड़ कार्यालय, झांसी में सुरक्षा के प्रबन्ध और अधिक कड़े किये जा रहे हैं।

आम चुनाव, 1972

7419. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972 में किन-किन, राज्यों में आम चुनाव होंगे ; और

(ख) क्या अन्य राजयों के साथ राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों में भी चुनाव कराये जायेंगे ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी :) (क) नई विधान सभाएं गठित करने के लिए आम चुनाव 1972 में निम्नलिखित राज्यों में होने को हैं :

आन्ध्र प्रदेश

आसाम

हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर

महाराष्ट्र

राजस्थान

(ख) पूर्वोक्त राज्यों में से किसी में या उन राज्यों में जहां राष्ट्रपति का शासन हैं आम चुनाव कराने के समय के बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया हैं।